<u>कार्यालय</u>

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

मुख्य कार्यालयः प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226001

प्रशासनिक कार्यालयः— द्वितीय तल सुनील कॉम्प्लेक्स वेस्टर्न कचहेरी रोड़ मेरठ—250002

Administrative Office: Second Floor Sunil Complex WK Road **Meerut** -250002

Website: www.lbspstc.com **Ph:** 0121-4349311 **Mo.** +91-8057728847

पत्रांक सं0:— ल0ब0/विधिक/2025—26/15326 **दिनांकः 23/08/2025**

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/प्रबन्धक

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण

परिषद से संबद्ध समस्त संस्थान

विषयः— प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण 2021 "स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना (उत्तर प्रदेश सरकार)" योजनान्तर्गत लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद के नियंत्रण में संचालित प्रदेश के सभी संस्थानों के सभी द्वितीय वर्ष के छात्र—छात्राओं का डाटा अपलोड/मैपिंग/के०वाई०सी०/वितरण किए जाने के संबंध में कठोरतम अनुपालन हेतु निदेश।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश **संख्या—1502/77—1—2021** दिनांक 06/10/2021 का अवलोकनार्थ संदर्भित किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण किए जाने का निर्णय लिया गया था।

इसके अनुक्रम में, शासनादेश संख्या—444/77—1—2025 (1483683) दिनांक 22/07/2025 के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण

परिषद को उक्त योजना से आच्छादित किया गया है। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**UPDESCO**), लखनऊ के पत्र संख्या 25–26/1686 दिनांक 08/08/2025 के द्वारा यह स्पष्ट एवं बाध्यकारी निदेश निर्गत किया गया कि परिषद से संबद्ध समस्त संस्थान, सभी वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति कर, अपने अभ्यर्थियों को इस योजना से लाभान्वित करें।

अतः परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि:–

1. **योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु "डिजीशक्ति पोर्टल" पर त्रिस्तरीय (विभागीय, विश्वविद्यालयीय एवं संस्थागत) लॉगिन व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित है।**
2. **प्रत्येक संबद्ध संस्थान तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नामित करेगा, जिनके माध्यम से छात्र–छात्राओं का डाटा अपलोड एवं सत्यापन (Verification) किया जाएगा। उक्त सत्यापित डाटा परिषद नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित (Approval) तथा विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा लॉक किया जाना अनिवार्य होगा।**
3. **आपके संस्थान स्तर से नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आई.डी. तत्काल परिषद को (lbspcup@gmail-com) के माध्यम से प्रेषित करना अपरिहार्य होगा, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूर्ण कर लॉगिन आई.डी. सृजित की जा सके।**

निर्देशः–

यह स्पष्ट रूप से अधिसूचित किया जाता है कि–

- ✓ उपर्युक्त आदेश परिषद स्तर पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं और सभी संबद्ध संस्थानों हेतु अनिवार्य एवं अंतिम माने जाएंगे।
- ✓ किसी भी दशा में यदि कोई संस्थान कोताही, लापरवाही अथवा टालमटोल करता है, तो उसे गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
- ✓ ऐसी स्थिति में संबद्धता (**Affiliation**) निलंबन/निरस्तीकरण, दण्डात्मक अधिभार (**Penal Action**), तथा आवश्यकतानुसार विधिक कार्यवाही की भी संस्तुति की जाएगी।

“अतः यह स्पष्ट एवं अंतिम रूप से निदेशित किया जाता है कि परिषद से संबद्ध प्रत्येक संस्थान, बिना किसी प्रकार के विलम्ब, बहाने अथवा टालमटोल के, तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त आदेशों का कठोरतम एवं अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा। अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को गम्भीर उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे प्रकरणों में परिषद को बाध्य होकर दण्डात्मक कार्यवाही करना पड़ेगा।”

दिनांक :– 23/08/2025

(अभिषेक गिरि)
महासचिव
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौ’’ाल एवं प्र’’िक्षण परिषद,
भारत।

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:–

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
4. व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग–,उ.प्र.शासन।
5. परीक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद।
6. गार्ड फाइल

(अभिषेक गिरि)
महासचिव
लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय
कौ’’ाल एवं प्र’’िक्षण परिषद,
भारत।